



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर
(जिला न्यायालय परिसर)

Email-Id :- dlsa2alwar@gmail.com

Phone:- 0144 2702029

क्रमांक:- १०

दिनांक:- ०१.०५.१९

विज्ञापि

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ.7(136)/2) रालसा/संस्था-संविदा सेवा/2018/10420-10431 दिनांक 30.04.2019 के लिए वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित पदों के लिये संविदा के आधार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 04 रिक्त पदों पर कार्य करने के लिए एवं स्थाई लोक अदालत में कार्य करने के लिए केवल 02 पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आवेदन उक्त पदों की भर्ती हेतु आमंत्रित किये जाते हैं। है। सेवानिवृत्त इच्छुक अभ्यर्थी हेतु सेवाएं ली जानी है।

क्र०सं०	पद का नाम	कार्य अवधि	रिक्त पदों की संख्या
1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	दिनांक 29.02.2020 या उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक (दोनों में से जो भी पहले हो)	08

सामान्य निर्देश :-

- उपरोक्त पद पूर्णरूपेण अनुबन्ध पर सेवा के आधार पर होंगे।
- उपरोक्त पदों पर राज्य सरकार की सेवा से सेवा नियुक्त 65 वर्ष से कम आयु के स्वस्थ व्यक्तियों कनिष्ठतम वेतन श्रृंखला में अनुबन्ध के आधार पर आवेदन कर सकते हैं, सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचारी को प्राथमिकता दी जावेगी।
- संविदा के आधार पर कर्मचारी की सेवाएं वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये आपेक्षित है, कार्यको की सेवा अवधि माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 29.02.2020 तक या नियमित भर्ती होने तक जो भी पहले हो तक लगाया जाता है।
- सेवा निवृत्त कर्मचारीगण अपने आवश्यक दस्तावेजात मय आवेदन-पत्र के साथ इस कार्यालय में दिनांक 16.05.2019 तक आवेदन कर सकते हैं।
- उक्त पदों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर) के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।
- उक्त पदों में विस्तृत जानकारी हेतु जिला न्यायालय परिसर के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

sdl-

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
अलवर।

क्रमांक :- 1972-1977

दिनांक :- 09/05/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ह:-

- श्रीमान सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
- श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर।
- श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर।
- जिला जन सम्पर्क अधिकारी, अलवर।
- सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय अलवर।
- नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

भवदीया

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
अलवर।



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर
(जिला न्यायालय परिसर)

Email-Id :- dlsa2alwar@gmail.com

Phone:- 0144-2702029

(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिये)

संविदा पुनर्नियुक्ति के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिये आवेदन -पत्र
आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. जन्म तिथि :-
4. पता मय मोबाईल नम्बर :-
5. आयु दिनांक :(01.02.220)वर्षमाह..... दिन
6. शैक्षणिक एवं तकनीकी अहर्ताएं :-
7. मूल विभाग का नाम :-
8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद:-
9. अनुभव :-
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन
(रनिग पे बेण्ड वेतन ग्रेड पे)
एलपीसी संलग्न करें।
11. मूल पेंशन राशि :-
पीपीओ की प्रति संलग्न करे।
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय).....
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/ निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधनो और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनो और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण -पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री.....जो सेवानिवृत्ति से पूर्वपद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री /श्रीमतीकी सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यार्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमति रूपयेमासिक मूल वेतन(रनिंग पे बैंड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमतिअधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमतीके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है और इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील